

# ग्रामीण सेवा सिद्धि-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प साईडी

—: आदेश :-


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कारोलिया  
च भूअ.नि. चौकड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार - की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सोणीया तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 97, 447 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>सोणीया</u>	<u>97</u>	<u>डालचन्द गुर्जर</u>	<u>डालचन्द गुर्जर</u>
2.	<u>-1-</u>	<u>447</u>	<u>-1-</u>	<u>-1-</u>


  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक:-195  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :  4 OCT 2025

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री डालचन्द गुर्जर नि. सोणीया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....